

# कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 34/13 / मानचित्र अनु० (जोन बी) / 2014

दिनांक :- 31/5/2014

श्री परबिन्दर तेवतिया पुत्र श्री ब्रजपाल सिंह,  
निवासी बी-10, पल्लवपुरम फेस-प्रथम,  
मेरठ।



आपके पत्र दिनांक 23.10.13 तलपट मानचित्र सं० 34/13 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित भू-विन्यास भवन निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम ग्रीन पैराडाईज, खसरा सं० 1316/1, 1298, 1304, 1302केएच, 1303, 1305, 1306, 1300, 1307/1, 1308, 1316/4, 1316/5, 1316/6, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321/2, 1377, 1380, 1382, 1379, 1270, 1271/1, 1288, 1289, 1295, 1304, 1309, 1310, 1311, 1377, 1378, 1380, 1382, 1380/1, 1322, 1290, 1291, 1316/3, 1296क, 1296केएच, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1292, 1293, 1294, 1377, 1378, 1380, 1280/2डी, 1378, 1382, 1377, 1380, 1382, 1377, 1378, 1380, 1382 ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर, मेरठ पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा ताकि मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने का बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (ऑकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
11. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है। **साठ-चाठ के आदेश क्र० 61/14 का सार प्रकृष्टत पालन करना होगा।**  
इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्न: स्वीकृत मानचित्र की प्रति।  
प्रतिलिपि:- नोडल अधिकारी को प्रेषित।

मुख्य नगर नियोजक,  
मेरठ विकास प्राधिकरण,  
मेरठ।